# दस वर्ष ई-चार्जिंग स्टेशन चलाने की शर्त पर मिलेगी जमीन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश सरकार ने ई-चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। शहरों में 10 वर्ष तक ई-चार्जिंग स्टेशन चलाने की शर्त पर ही निजी संस्थाओं को जमीन दी जाएगी। सरकारी व निजी संस्थाओं को एक रुपये प्रति किलोवाट की दर से जमीन का पट्टा 10 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर दिया जाएगा।

- ई-चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए एसओपी जारी

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से जारी एसओपी में एजेंसियों को जमीन देने के लिए प्रदेश के सभी निकायों में एक नोडल अधिकारी बनाने की बात कही गई है। आवेदन आने के बाद जमीन की व्यवस्था की जाएगी। निकाय के पास जमीन न होने की स्थिति में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से इसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ईवी चार्जिंग स्टेशन, स्वैपिंग स्टेशन या स्वैपिंग कियोस्क के लिए टेक्नोलाजी व इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा मानक तय किया जाएगा।

नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा व्यापक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान तैयार कराने के लिए नीति आयोग और अन्य संस्थाओं से समन्वय करते हुए रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) तैयार करेगा।

इस पर निर्णय शासन स्तर से लिया जाएगा। इसके लिए अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। इसमें निदेशक स्थानीय निकाय सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा आठ सदस्य होंगे।